न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास पंकज गढ़वाल R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या 186/2020

निर्णय दिनांक - 12.2.2021

पिंकी पुत्री राजवीर जाति नायक निवासी गुगलवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

बनाम

– प्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ (चूरू)
2. मुन्नी पत्नी राजवीर
3. सुनिल } पुत्र लादूराम
4. रोशन } पुत्र लादूराम
5. चन्द्रो पत्नी लादूराम

(2 से 5) जाति नायक निवासी गुगलवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि गत ख० न० 135 तादादी 7 बीघा 8 बिस्वा ख० न० 136 तादादी 10 बीघा रोही गुगलवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित रही है जिसमें प्रार्थीनी की व अप्रार्थी सं. 2 मुन्नी तथा अप्रार्थी सं. 3 सुनिल की 1/15 हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि रही है। यही विवादित कृषि भूमि है बाद विभाजन गत ख० न० 256/136 मी० में 3.10 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के हिस्से में आई भू प्रबन्ध विभाग बीकानेर द्वारा सम्वत 2062 में गत ख० न० 256/136 मी० के हाल ख० न० 225 तादादी 0.88 हे० रोही मौजा गुगलवा बने। सम्वत 2056 से 2059 की जमाबन्दी में प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 2, 3 ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहे है। सम्वत 2062 से 2065 की जमाबन्दी बनी उस समय सहवन से भूलवंश प्रार्थीया पिंकी का नाम छोड़ दिया तथा पिंकी का हिस्सा अप्रार्थी सं. 2, 3 के ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा का खातेदार कर दिया गया जबकि अप्रार्थी सं. 2 व 3 के साथ प्रार्थीया भी ब हि. बराबर की खातेदार होनी चाहिए थी। उक्त अशुद्धि को शुद्ध करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर नियमानुसार तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली गई। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि ख० 225 तादादी 0.88 हे० रोही मौजा गुगलवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रार्थी पिंकी को 1/9 हिस्सा की खातेदार दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थी सं. 2 मुन्नी को के स्थान पर 1/9 हिस्से की खातेदार तथा सुनिल को 1/6 के स्थान पर 1/9 का खातेदार दर्ज कर शुद्ध किया जावे। तदनुसार पालना हेतु तहसीलदार राजगढ़ को परवाना जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

al.
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)